आयुक्त

बनाम

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एम.डी. के माध्यम से

(सिविल अपील क्रमांक 6949-6950 वर्ष 2004)

अप्रैल 24, 2018

[आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 28(iv) और 41(1) - ऋण राशि माफ, करदेयता - एक कंपनी को निर्धारिती द्वारा देय 57,74,064/- रुपये की राशि - बाद में ऋणदाता-ऋणदाता द्वारा ऋण माफी पर - क्या धारा 28(iv) के तहत अनुलाभ के रूप में कर योग्य है या धारा 41(1) के तहत दायित्व की छूट के रूप में कर योग्य है - धारित: ऋण माफी के कारण नकद प्राप्ति के रूप में 57,74,064/- रूपये की राशि प्राप्त हुई है - धारा 28 (iv) की पहली शर्त कि व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या अनुलाभ धन के अलावा अन्य लाभ या अनुलाभ के रूप में होगा, संतुष्ट नहीं है - इसलिए, धारा 28 (iv) के प्रावधानों के तहत 57,74,064/- रुपये की राशि पर कर नहीं लगाया जा सकता है - धारा 41(1) व्यापारिक देनदारी की छूट, ऋण की माफी से लेकर व्यापारिक देनदारी के अलावा अन्य देनदारी की समाप्ति से संबंधित है - इस प्रकार, धारा 41(1) लागू नहीं होती है।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1.1 लेनदार या उसका उत्तराधिकारी देनदार को चुकाने के दायित्व से मुक्त करने के लिए अपने "छूट के अधिकार" का एकतरफा उपयोग कर सकता है। इस तरह के अभ्यास के बाद, देनदार को छूट की शर्तों के अधीन ऋण के पुनर्भुगतान के दायित्व से मुक्त माना जाता है। छूट आंशिक रूप से छूट हो सकती है यानी, मूलधन या चुकाए जाने वाले ब्याज के हिस्से की छूट, या ऋण और ब्याज दोनों राशियों की पूर्ण छूट। इसलिए, लेनदार द्वारा ऋण माफ़ करने से देनदार के हाथ में अतिरिक्त नकदी आ जाती है। यह देनदार/निर्धारिती के हाथ में रसीद है। [पैरा 11] [957-एफ]

1.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (iv) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए, जिस आय पर कर लगाया जा सकता है वह व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न होगी। इसके अलावा, धारा 28 (iv) के प्रावधान को लागू करने के लिए, जो लाभ प्राप्त होता है वह धन के रूप में होने के बजाय किसी अन्य रूप में होना चाहिए। मौजूदा मामले में, यह रिकॉर्ड की बात है कि ऋण माफी के कारण 57,74,064/- रुपये की राशि नकद प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुई है। इसलिए, धारा 28 (iv) की पहली शर्त जो कहती है कि व्यवसाय से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या अनुलाभ धन के अलावा अन्य लाभ या अनुलाभ के रूप में होगा, वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं है। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि 57,74,064/- रुपये की राशि पर आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) के प्रावधानों के तहत कर लगाया जा सकता है। [पैरा 13] [958-सी-ई]

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

1.3 आईटी अधिनियम की धारा 41(1) के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि यह अनिवार्य शर्त है कि निर्धारिती द्वारा किए गए हानि व्यय या व्यापारिक दायित्व के संबंध में किसी भी वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन में निर्धारिती द्वारा भत्ता या कटौती का दावा किया जाना चाहिए। फिर, बाद में, किसी भी पिछले वर्ष के दौरान, यदि लेनदार ऐसी कोई देनदारी चुकाता है या माफ करता है, तो निर्धारिती आईटी अधिनियम की धारा 41 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस धारा के पीछे का उद्देश्य सरल है। यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि निर्धारिती एक बार कटौती के माध्यम से दोहरे लाभ से बच न जाए और दूसरी बार इस तरह के दायित्व की छूट के मामले में पहले से अनुमत कटौती के संदर्भ में बाद के वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त लाभ पर कर न लगाया जाए। प्रतिवादी अनुबंध के अनुसार केजेसी को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान कर रहा था, लेकिन निर्धारिती ने कभी भी आईटी अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) के तहत ब्याज के भुगतान के लिए कटौती का दावा नहीं किया। तत्काल मामले में, सीआईटी (ए) ने आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) पर भरोसा किया और माना कि प्रतिवादी को परिशोधन लाभ प्राप्त हुआ था। परिशोधन एक लेखांकन शब्द है जो किसी परिसंपत्ति की लागत को समय की अवधि में आवंटित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, इसलिए, यह मूल्यह्रास के अलावा और कुछ नहीं है। मूल्यह्रास समय के साथ किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी है, विशेष रूप से टूट-फूट के कारण। इसलिए, पिछले मूल्यांकन वर्षों में प्रतिवादी द्वारा दावा की गई कटौती मशीन के मूल्यह्रास के कारण थी, न कि उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर। [पैरा 15] [959-बी-ई]

1.4 इसके अलावा, केजेसी से की गई खरीद संयंत्र, मशीनरी और टूलींग उपकरणों के संबंध में है जो प्रतिवादी की पूंजीगत संपत्ति हैं। उक्त खरीद राशि किसी भी मूल्यांकन वर्ष में ट्रेडिंग खाते या लाभ या हानि खाते से डेबिट नहीं की गई थी। 'व्यापारिक दायित्व' और 'अन्य दायित्व' के बीच अंतर है। आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) विशेष रूप से व्यापारिक दायित्व की छूट से संबंधित है। जबकि मौजूदा मामले में, ऋण की माफी व्यापारिक देनदारी के अलावा अन्य देनदारी की समाप्ति के बराबर है। इसलिए, प्रतिवादी का मामला आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) के अंतर्गत नहीं आएगा। [पैरा 16][959-एफ-एच]

1.5 निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है: आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) तत्काल मामले पर लागू नहीं होती है क्योंकि 57,74,064/- रुपये की रसीदें नकद या धन की प्रकृति में हैं; और धारा 41(1) लागू नहीं होती क्योंकि ऋण की माफी का मतलब व्यापारिक दायित्व की समाप्ति नहीं है। प्रतिवादी ने किसी भी पिछले वर्ष में ब्याज के भुगतान के लिए आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(iii) के तहत किसी कटौती का दावा नहीं किया है। [पैरा 17][960-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6949-6950 वर्ष 2004

आरए संख्या 1561 (बीओएम) वर्ष 1982 और आरए संख्या 5161/बी/80 में उच्च न्यायालय बॉम्बे के निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.2003 के विरुद्ध।

साथ

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सिविल अपील क्रमांक 5320, 5319, 890, 3624, 1214, 780, 2164 एवं 7951 वर्ष 2012

सिविल अपील क्रमांक 4435, 4434, 4442, 4441, 4609, 4436, 4545, 4539 एवं 4546 वर्ष 2018

सिविल अपील क्रमांक 10169 एवं 10168 वर्ष 2010

सिविल अपील क्रमांक 5751 वर्ष 2011

सिविल अपील क्रमांक 4345 वर्ष 2014

सिविल अपील क्रमांक 6942 वर्ष 2015

एस. गणेश, अजय वोहरा, अरविंद पी. दातार, गुरुकृष्ण कुमार, रमेश पी. भट्ट, जे. डी. मिस्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरिजीत प्रसाद, रितेश कुमार, सुश्री रेखा पांडे, श्रीमती अनिल कटियार, अमर दवे, पी.एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री श्रुति जोस, सुश्री सुभोश्री सिल, सी.एन. श्रीकुमार, अमित शर्मा, टी.जी. नारायणन नायर, सुश्री कविता झा, उदित नरेश, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अनुज सरमा, सुश्री निहारिका, मेसर के.जे. जॉन एंड कंपनी, रजत जरीवाल, साहिल नारंग, सुश्री स्नेहल ककरानिया, सुश्री भरत गुप्ता, मैसर्स खेतान एंड कंपनी, सत्येन सेठी, सुश्री अर्ता ट्राना पांडा, सुश्री गार्गी सेठी, रमेश्वर प्रसाद गोयल, बी. अक्षत मालपानी, रश्मिकुमार मणिलाल विठलानी, मनीष के. बिश्नोई, देवेंश श्रीवास्तव, अनुराग भट्ट, राबिन मजूमदार, सिंधु सिन्हा, शांतनु सागर, मेसर खेतान एंड कंपनी, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, अमर दवे, पी.एस.सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री श्रुति जोस, सुश्री सुभोश्री सिल, पंकज भाटिया, निपुण गोयल, ध्रुव सुराणा, आशीष चौधरी, सुश्री भारती त्यागी, निशांत, राकेश के. शर्मा, ए. वेनायगम बालन, श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री कविता झा, मेसर पारेख एंड कंपनी, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल द्वारा सुनाया गया।

सिविल अपील संख्या 6949-6950 वर्ष 2004

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें आरए संख्या 1561 (बीओएम)/1982 और आरए संख्या 5161/बी/80 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.2003 के खिलाफ दायर की गई हैं। जिसमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी के साथ-साथ राजस्व द्वारा दायर संदर्भ आवेदनों का जवाब देते हुए प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 16.08.1982 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित कुछ निष्कर्षों की पुष्टि की गई। इसके साथ ही कुछ अन्य जुड़ी हुई अपीलें भी हैं। चूंकि इन सभी अपीलों में कानून का प्रश्न एक ही है, इसलिए सभी अपीलें इस सामान्य निर्णय के साथ निपटाई जाएंगी।

3. संक्षिप्त तथ्य:-

(ए) मौजूदा मामले में मुद्दे की उचित सराहना के लिए, हम तथ्यों के सार का उल्लेख करना उचित समझते हैं। यहां अपीलकर्ता आयकर विभाग (संक्षिप्तता के लिए 'राजस्व') है, दूसरी ओर, यहां प्रतिवादी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (संक्षिप्तता के लिए 'प्रतिवादी') है - कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(बी) प्रतिवादी ने बहुत पहले एफसी-150 और एफसी-170 मॉडलों को शामिल करके अपनी जीप उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करने का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य के लिए, 18.06.1964 को, इसने अमेरिका में स्थित कैसर जीप कॉर्पोरेशन (संक्षेप में 'केजेसी') के साथ एक समझौता किया, जिसमें केजेसी ने निर्धारिती को डाई, वेल्डिंग उपकरण और डाई मॉडल बेचने पर सहमति व्यक्त की। टूलींग और अन्य उपकरणों की अंतिम कीमत लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) सहित $6,50,000/- पर सहमति हुई। इस बीच, प्रतिवादी ने संबंधित सरकारी विभागों से सभी अपेक्षित मंजूरी ले लीं। उक्त टूलिंग और अन्य उपकरणों की आपूर्ति कैसर जीप कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी सहायक कंपनी कैसर जीप इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (KJIC) के माध्यम से की गई थी।

(सी) हालांकि, उक्त टूलींग और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए, केजेसी ने प्रतिवादी को 6% ब्याज की दर पर 10 वर्षों के बाद किस्तों में चुकाने योग्य ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रयोजन के लिए, प्रतिवादी ने उक्त ऋण समझौते की मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दिनांक 07.06.1965 को एक पत्र लिखा था। आरबीआई और संबंधित मंत्रालय ने उक्त ऋण समझौते को मंजूरी दे दी।

(डी) बाद में प्रतिवादी को सूचित किया गया कि अमेरिकन मोटर कॉर्पोरेशन (एएमसी) ने केजेसी पर कब्जा कर लिया है और केजेसी द्वारा प्रतिवादी को दिए गए ऋण की मूल राशि को माफ करने और वचन पत्रों के परिपक्व होने पर उन्हें रद्द करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। इसकी सूचना प्रतिवादी को दिनांक 17.02.1976 के पत्र के माध्यम से दी गई थी।

(ई) 30.06.1976 को प्रतिवादी ने अपना रिटर्न दाखिल किया और अमेरिकी मोटर कॉर्पोरेशन के प्रति अपने दायित्व की समाप्ति के रूप में 57,74,064/- रुपये दिखाए। रिटर्न के अवलोकन के बाद, आयकर अधिकारी (आईटीओ) ने निष्कर्ष निकाला कि ऋण राशि की छूट के साथ, क्रेडिट आय का प्रतिनिधित्व करता है न कि देनदारी का। तदनुसार, आईटीओ ने, दिनांक 03.09.1979 के आदेश के तहत, माना कि 57,74,064/- रुपये की राशि आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षिप्तता के लिए 'आईटी अधिनियम') की धारा 28 के तहत कर योग्य थी।

(एफ) असंतुष्ट होने पर, प्रतिवादी ने आयकर आयुक्त (अपील) संख्या सीआईटी (ए) वी/सीसीआईवी/आईटी/261/79-80 के समक्ष अपील दायर की। मामले को पढ़ने के बाद, विद्वान सीआईटी (अपील) ने दिनांक 23.03.1981 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया और कुछ संशोधनों के साथ आईटीओ के आदेश को बरकरार रखा।

(जी) व्यथित होकर, प्रतिवादी और साथ ही राजस्व ने ट्रिब्यूनल के समक्ष क्रमशः संख्या 2007 (बम) वर्ष 1981 और 2132 वर्ष 1981 की अपील की। ट्रिब्यूनल ने, दिनांक 16.08.1982 के आदेश के तहत, विद्वान सीआईटी (अपील) द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और मामले का फैसला प्रतिवादी के पक्ष में किया।

(एच) व्यथित होकर, राजस्व ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक संदर्भ दायर किया। उस संदर्भ में, तीन आवेदन दायर किए गए थे, एक निर्धारिती द्वारा और बाकी दो राजस्व द्वारा।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 29.01.2003 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में ट्रिब्यूनल के कुछ निष्कर्षों की पुष्टि की।

(i) इसलिए, ये तत्काल अपीलें राजस्व द्वारा दायर की गई हैं।

4. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का अवलोकन किया। विचारार्थ बिंदु:-

5. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए संक्षिप्त बिंदु यह है। क्या मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी द्वारा कैसर जीप कॉरपोरेशन को देय 57,74,064/- रुपये की राशि, जिसे बाद में ऋणदाता द्वारा माफ कर दिया गया, प्रतिवादी की कर योग्य आय है या नहीं? प्रतिद्वंद्वी विवाद:-

6. शुरुआत में राजस्व के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह कहा प्रतिवादी को अमेरिकी मोटर कॉर्पोरेशन से ऋण माफी के रूप में 57,47,064/- रुपये की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे उसने शुरू में कैसर जीप कॉर्पोरेशन से ऋण के रूप में उधार लिया था ताकि वह जीपों के निर्माण के लिए डाई, उपकरण आदि खरीद सके। ऋण की माफी अमेरिकी मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा की गई थी, जिसने सद्भावना, एसोसिएशन के लाभ सहित कुछ नुकसानों के मुआवजे के उपाय के रूप में कैसर जीप कॉर्पोरेशन का अधिग्रहण किया था और एक शेयर धारक के रूप में अमेरिकन मोटर कॉर्पोरेशन में अचानक परिवर्तन के लिए भी, जिसे प्रतिवादी ने अपने खाते में जमा किया था, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति के रूप में कराधान से छूट के रूप में दावा किया गया था।

7. निष्कर्ष से पहले यह तर्क दिया गया कि चूंकि एक राशि माफ कर दी गई है, जिसके लिए प्रतिवादी छूट का दावा कर रहा है। यह वास्तव में प्रतिवादी के हाथों आय के बराबर है, इस अर्थ में कि जिस राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, उसे अब भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, राजस्व का मामला धारा 28(iv) के दायरे में और वैकल्पिक रूप से आईटी अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत आता है। इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि कैसर जीप इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (KJIC) ने टूलींग की आपूर्ति की और ऋण कैसर जीप कॉर्पोरेशन (KJC) द्वारा दिया गया था, इसलिए, ये लेनदेन स्वतंत्र लेनदेन थे। औजारों की आपूर्ति के बाद जो एकमात्र रिश्ता बचा था, वह ऋणदाता और उधारकर्ता का था। टूलींग की खरीद व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उधार पर माल की खरीद के लिए एक लेनदेन नहीं थी और न ही इसे समय की अवधि में समाप्त होने वाले अवैतनिक खरीद विचार के बराबर किया जा सकता था।

9. इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह बहुत स्पष्ट है कि केजेसी द्वारा प्रदान की गई 650,000 डॉलर की राशि वास्तव में एक ऋण था जिस पर समय-समय पर नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया जा रहा था। यह भी बताया गया है कि प्रतिवादी के खाते की किताबों में, इस ऋण को "ऋण-असुरक्षित" शीर्षक के तहत बैलेंस शीट में दिखाया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त राशि को कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता क्योंकि यह ऋण देनदारी की छूट का प्रतिनिधित्व करता है जो पूंजी राशि पर थी और आय की प्रकृति में नहीं है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया और इसलिए, ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

बहस:-

10. शब्द "ऋण" आम तौर पर कुछ उधार लेने को संदर्भित करता है, विशेष रूप से नकदी की राशि जिसे पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए गए ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाना है। अन्य शर्तों में, देनदार एक निर्धारित समय के भीतर सहमत ब्याज दर के साथ मूल राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

11. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि ऋणदाता या उसका उत्तराधिकारी देनदार को चुकाने के दायित्व से मुक्त करने के लिए अपने "छूट के अधिकार" का एकतरफा उपयोग कर सकता है। इस तरह के अभ्यास के बाद, देनदार को छूट की शर्तों के अधीन ऋण के पुनर्भुगतान के दायित्व से मुक्त माना जाता है। छूट आंशिक रूप से छूट हो सकती है यानी, मूलधन या चुकाए जाने वाले ब्याज के हिस्से की छूट, या ऋण और ब्याज दोनों राशियों की पूर्ण छूट। इसलिए, लेनदार द्वारा ऋण माफ़ करने से देनदार के हाथ में अतिरिक्त नकदी आ जाती है। यह देनदार/निर्धारिती के हाथ में रसीद है। तत्काल मामले में संक्षिप्त लेकिन ठोस मुद्दा यह उठता है कि क्या लेनदार द्वारा ऋण की माफी आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) के तहत एक अनुलाभ के रूप में कर योग्य है या आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) के तहत दायित्व की छूट के रूप में कर योग्य है।

12. पहला मुद्दा वर्तमान मामले में आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) की प्रयोज्यता है। आगे बढ़ने से पहले, हम नीचे दिए गए प्रासंगिक प्रावधान को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:-

“28. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ - निम्नलिखित आय "व्यावसायिक पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत आयकर के दायरे में आएगी - xxx

(iv) व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या अनुलाभ का मूल्य, चाहे वह धन में परिवर्तनीय हो या नहीं;

XX

13 आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए, जिस आय पर कर लगाया जा सकता है वह व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न होगी। साथ ही, आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) के प्रावधान को लागू करने के लिए, जो लाभ प्राप्त होता है वह धन के रूप में होने के बजाय किसी अन्य रूप में होना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड की बात है कि ऋण माफी के कारण नकद प्राप्ति के रूप में 57,74,064/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसलिए, आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) की पहली शर्त जो कहती है कि व्यवसाय से उत्पन्न कोई भी लाभ या अनुलाभ धन के अलावा अन्य लाभ या अनुलाभ के रूप में होगा, वर्तमान मामले में संतुष्ट नहीं है। इसलिए, हमारे विचार में, किसी भी परिस्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है कि 57,74,064/- रुपये की राशि पर आईटी अधिनियम की धारा 28 (iv) के प्रावधानों के तहत कर लगाया जा सकता है।

14 एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठता है वह आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) की प्रयोज्यता है। उक्त प्रावधान को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"41. कर योग्य लाभ.-

(1) जहां किसी भी वर्ष के मूल्यांकन में निर्धारिती (इसके बाद पहले उल्लेखित व्यक्ति के रूप में संदर्भित) द्वारा किए गए नुकसान, व्यय या व्यापारिक दायित्व के संबंध में और बाद में किसी भी पिछले वर्ष के दौरान कोई भत्ता या कटौती की गई है, (ए) प्रथम-उल्लेखित व्यक्ति ने, चाहे नकद में या किसी भी अन्य तरीके से, इस तरह के नुकसान या व्यय के संबंध में कोई राशि प्राप्त की हो या ऐसी व्यापारिक देनदारी के संबंध में कुछ लाभ प्राप्त किया हो, उसकी छूट या समाप्ति के माध्यम से, प्राप्त राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसे प्राप्त होने वाले लाभ के मूल्य को व्यवसाय या पेशे का लाभ और लाभ माना जाएगा और तदनुसार उस पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर लगाया जाएगा, चाहे वह व्यवसाय या पेशा हो जिसके संबंध में भत्ता या जो कटौती की गई है वह उस वर्ष अस्तित्व में है या नहीं; या एक्स एक्स एक्स"

15. उक्त प्रावधान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि यह अनिवार्य शर्त है कि निर्धारिती द्वारा किए गए नुकसान, व्यय या व्यापारिक दायित्व के संबंध में किसी भी वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन में निर्धारिती द्वारा भत्ता या कटौती का दावा किया जाना चाहिए। फिर, बाद में, किसी भी पिछले वर्ष के दौरान, यदि लेनदार ऐसी कोई देनदारी चुकाता है या माफ करता है, तो निर्धारिती आईटी अधिनियम की धारा 41 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस धारा के पीछे का उद्देश्य सरल है। यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि निर्धारिती एक बार कटौती के माध्यम से दोहरे लाभ से बच न जाए और दूसरी बार इस तरह के दायित्व की छूट के मामले में पहले से अनुमत कटौती के संदर्भ में बाद के वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त लाभ पर कर न लगाया जाए। यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रतिवादी अनुबंध के अनुसार केजेसी को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान कर रहा था, लेकिन निर्धारिती ने कभी भी आईटी अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) के तहत ब्याज के भुगतान के लिए कटौती का दावा नहीं किया। मौजूदा मामले में, विद्वान सीआईटी (ए) ने आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) पर भरोसा किया और माना कि प्रतिवादी को परिशोधन लाभ प्राप्त हुआ था। परिशोधन एक लेखांकन शब्द है जो किसी परिसंपत्ति की लागत को समय की अवधि में आवंटित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, इसलिए, यह मूल्यह्रास के अलावा और कुछ नहीं है। मूल्यह्रास समय के साथ किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी है, विशेष रूप से टूट-फूट के कारण। इसलिए, पिछले मूल्यांकन वर्षों में प्रतिवादी द्वारा दावा की गई कटौती मशीन के मूल्यह्रास के कारण थी, न कि उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर।

16. इसके अलावा, कैसर जीप कॉर्पोरेशन से की गई खरीद संयंत्र, मशीनरी और टूलींग उपकरणों के संबंध में है जो प्रतिवादी की पूंजीगत संपत्ति हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त खरीद राशि किसी भी मूल्यांकन वर्ष में ट्रेडिंग खाते या लाभ या हानि खाते से डेबिट नहीं की गई थी। यहां, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि 'व्यापारिक दायित्व' और 'अन्य दायित्व' के बीच अंतर है। आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) विशेष रूप से व्यापारिक दायित्व की छूट से संबंधित है। जबकि मौजूदा मामले में, ऋण की माफी व्यापारिक देनदारी के अलावा अन्य देनदारी की समाप्ति के समान है। इसलिए, हमें राजस्व के इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि प्रतिवादी का मामला आईटी अधिनियम की धारा 41 (1) के तहत आएगा।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

17. संक्षेप में, हम निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं:

(ए) आईटी अधिनियम की धारा 28(iv) वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है क्योंकि 57,74,064/- रुपये की प्राप्तियां नकद या धन की प्रकृति में हैं।

(बी) आईटी अधिनियम की धारा 41(1) लागू नहीं होती है क्योंकि ऋण की माफी व्यापारिक देनदारी की समाप्ति के बराबर नहीं है। यह रिकॉर्ड की बात है कि प्रतिवादी ने किसी भी पिछले वर्ष में ब्याज के भुगतान के लिए आईटी अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) के तहत किसी कटौती का दावा नहीं किया है।

18) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा मानना है कि ये अपीलें योग्यता से रहित हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, अपीलें खारिज की जाती हैं। अन्य सभी संबंधित अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है, जिससे पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी पड़ती है।

निधि जैन अपील खारिज।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"